

अधिकारी/कर्मचारी का पूरा नाम - दीपक शर्मा

वर्तमान वेतन रुपये 22600 + D.A. वेतन वृद्धि की अगली तिथि - 01-01-2025

स. क्र.	उस जिले उपसभागत तालूका तथा ग्राम का नाम जिसमें सम्पत्ति स्थित हो।		सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौरे		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	उसे किस प्रकार अति किया खरीदा पट्टा बन्धक विरासत भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तिथि और जिससे अर्जित की गई है उसका नाम तथा ब्यौरे।	सम्पत्ति वार्षिक आय	अन्युक्ति से
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि	3	4	5	6	7	8	9
1	2								
(1)	कच्चा मील के पास जबलियर रोड बिजपुरी (रू.पं.)		माँ के नाम पर नाम पारह	-	1350 बर्ग फुट (125.41 मीटर) बोमत (लगाभूत) 14 लाख रु.	माँ के नाम पर पारह लहो कर्मचारी निवासगत है।	माँ के नाम	-	-

क्रमांक 20 / नाती / स्था. / 2025

- जो लागू न हो काट दीजिये।
- ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना सम्भव न हो वहाँ वर्तमान स्थिति के सदरमें में लगभग मूल्य बतलाया जाये।
- इसमें अल्प कालीन पट्टे भी सम्मिलित है।

टिप्पणी :- म.प्र. शासकीय सेवक (आचरण) नियम 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उसके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसके विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बन्धक पर उसके द्वारा धारित समस्त अवल सम्पत्ति के ब्यौरे देवे।



कर्मचारी का नाम एवं हस्ताक्षर
दीपक शर्मा

अधीनस्थ 25-3, ब्यापार, निगम, पत्रिका/क्रिपुडी